निगरानी /टीए/6158/2002/ भरतपुर
उदयसिंह जरिये का.मु.राजेश वगैरह बनाम मांगीलाल जरिये का0मु0 व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
05-2-2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री जे.के.पुरोहित, अभिभाषक प्रार्थी । **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–9–02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील में दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 15–1–2025 को अप्रत्यर्थी सं.2 अपील स्वीकार की है तथा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 24–4–07 में पारित आदेश को विलोपित करते हुये शेष आदेश यथावत रखा है। प्रार्थीगण द्वारा अपीलीय न्यायालय के आदेश के विरूद्ध हस्तगत् निगरानी पेश की गई थी तथा अपीलीय न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हो जाने से उसका निस्तारण हो चुका है। अतः हस्तगत् निगरानी उक्तानुसार निर्णित की जावे। 3. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलीय न्यायालय के जिस आदेश के विरूद्ध हस्तगत् निगरानी प्रस्तुत हुई उस अपील में दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हो जाने से अपीलीय न्यायालय द्वारा राजीनामें के आधार पर अपील का निस्तारण किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में हस्तगत् निगरानी का कोई उद्देश्य अथवा महत्व नहीं रह गया। अतः निगरानी अप्रभावी होने से खारिज की जाती है। पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	